EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 955-956

Dated 6-12-2008

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 208.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह ''क'' और समूह ''ख'' पद अयोधक भर्ती नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह ''क'' और समूह ''ख'' पद अयोधक भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह ''क'' और समूह ''ख'' पद अयोधक भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम सं. 1 में ,—

(क) स्तंभ 11 में, ''विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता'' शब्दों के स्थान पर, "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 13 में, क्रम सं. 3 की प्रविष्टि में ''उप सचिव (केंद्रीय पुलिस संगठन), गृह मंत्रालय'' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय''।

[फा.सं. 17/48/2007-कार्मिक/सी.सु.ब.]

बरूण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 411 तारीख 4 अगस्त, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 335 तारीख 1 अक्तूबर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2008

G.S.R. 208. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force Headquarters Group 'A' and 'B' posts, non-combatised Recruitment Rules, 2001, namely.—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force Headquarters Group 'A' and 'B' posts, non-combatised Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force Headquarters Group 'A' and 'B' posts, non-combatised Recruitment Rules, 2001, in the Schedule, against serial number 1, relating to the post of Senior Administrative Officer,—

(a) in column 11, in the heading, for the words "percentage of posts", the words "percentage of vacancies" shall be substituted;

(b) in column 13, serial number 3 in the entries for the words and brackets "Deputy Secretary (Central Police Organization).", the following shall be substituted, namely :—

"Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs".

[F.No. 17/48/2007-Pers/BSF]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number GSR 411, dated the 4th August, 2001 and subsequent amendment *vide* number GSR 335, dated the 01 October, 2005.